# डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)
# Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (UP)

पत्रांकः लो0अ0वि0/कु0स0का0/2021/727 दिनांकः 16.04.2021

## अधिसूचना

कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित किये जाने सम्बन्धी उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 1064/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांकः 15 अप्रैल, 2021 के माध्यम से प्राप्त दिशा–निर्देशों को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू किये जाने विषयक कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः लो0अ0वि0/कु0स0का0/2021/726, दिनांकः 14.04.2021 को यथावत रखते हुए शासन के उपर्युक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त निम्नांकित दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है :–

1 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखा जाये।

2 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

3 विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ ऑनलाइन मोड में संचालित की जायेंगी। समस्त शिक्षकगण, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गयी समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन कक्षायें लेंगे। किसी भी शिक्षक को बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।

4 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत समूह 'ख','ग' एवं 'घ' के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप से कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे। किसी भी कर्मचारी को बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।

कुलसचिव

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1 जिलाधिकारी, अयोध्या को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

3 समस्त वार्डेन/अधीक्षक छात्रावास, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 मुख्य कुलानुशासक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/ उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/सहायक अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

6 प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी समस्त अनुभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

7 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

6 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की लॉगइन आइडी पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7 निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।

8 पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

442
16/4/21

**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध**
**संख्या–1064/सत्तर–3–2021–08(20)/2020**

**प्रेषक,**

**अब्दुल समद,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1–कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

**2–निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
प्रयागराज।

587
16/04/21

**उच्च शिक्षा अनुभाग–3** **लखनऊः दिनॉक 15 अप्रैल, 2021**

**विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–955/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राज्य स्थित विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखा जाये।

(2) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेगें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

(3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति/प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत समूह–"ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेगें।

2– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चिंत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**( अब्दुल समद )**
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

Scanned with CamScanner

संख्या– 1064 (1)/सत्तर–3–2021, तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

6– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अब्दुल समद )

विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

Scanned with CamScanner